



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
	<p>जजले पेशची जो 20/6/25 को 27.6.25 को पेश हो</p> <p>केस नहीं किया गया अतः जजलय जमाने बंद किया जाता है। इतमपक्ष की बहल सुनी गयी फावली वाले आदेश दिनांक 04/6/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  04/6/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालंधर (राज०) </p>	<p>31/6/25</p>
<p>31/6/25</p>	<p>फावली पेश हुई। वकील इतमपक्ष उपस्थित। फावली वाले आदेश दिनांक 08/7/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालंधर (राज०) </p>	<p>08/7/25</p>
<p>08/7/25</p>	<p>फावली पेश हुई। वकील इतमपक्ष उपस्थित। बहल शपथ के परिपेक्ष्य में फावली पेश का अवलोकन किया। Dalpat Kumar vs prehled singh 1988 AIR SCW 3128 एवं Golgate palmolive (india) Ltd vs Hindustan Kover Ltd 1999 AIR SCW 3050 से माननीय सचिव द्वारा समामय द्वारा समे विधायित किया है कि द्वारा - 218 RT Act नं. 039 R15 CPC के शपथ में adjudicate करत व</p>	<p>08/7/25</p>



<p>संख्या हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इतिशिराज्य जय</p>
	<p>की दूरी निम्न तीन विभागों पर पर्यवेक्षण आवश्यक है :- (i) ग्राम समीप स्थित निम्न को संदर्भित आवासीय खण्ड 229 खण्ड 1-02 की दूरी की दूरी में ही प्रथम खाने- खाना 80 81 व 82 वनकर प्रार्थी व अप्रार्थी के प्रथम प्रथम खाने की ही सुची है, प्रार्थी खण्ड 229 खण्ड 0.1391 हेतु व Recorded Khatedar tenant व मालिकारी की ही प्रथम प्रथम खण्ड प्रार्थी व प्रथम में लाया है।</p> <p>(ii) सुविधा का अनुमति :- प्रार्थी व खाने व खाने की सुची खण्ड 229 खण्ड 0.1391 हेतु पर अप्रार्थी द्वारा प्रथम खाने व खाने की सुची है व सुविधा का अनुमति की प्रार्थी व प्रथम में है।</p> <p>(iii) अप्रार्थी द्वारा की कार्यवाही</p> <p>ज्ञात: प्रार्थी का 87 का 4/5 812 RT Act ख.व. 0. 39 R) 82 CPC आदेशित कम है लीकाल हुआ प्रार्थी 1 व 2 का वापसी/मालिकाना वल आवासीय व आवासीय मिले/वला है प्रार्थी द्वारा जाता है 10 व प्रार्थी की सुची खण्ड 229 पर मा ती प्रथम खाने की ही सुची व्यवधान है कर। प्रार्थी के मालिकाना खण्ड नम्बर की कम होकर दायित्व प्रथम की</p> <p style="text-align: right;">U...</p>

